



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 27 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 17 अप्रैल, 2006)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ख” तथा “ग”)।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
8. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-
 - 1- शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 14611880 हजार (एक हजार चार सौ इकसठ करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- 2- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 755434 हजार (पचहत्तर करोड़ चौवन लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ङ))
- 3- परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 927311 हजार (नानवे करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (च))
- 4- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 4782299 हजार (चार सौ अठहत्तर करोड़ बाईस लाख निन्नानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (छ))
- 5- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 45107 हजार (चार करोड़ इक्कावन लाख सात हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ज))
- 6- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 748400 हजार (चौहत्तर करोड़ चौरासी लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (झ))
- 7- कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 1764614 हजार (एक सौ छिहत्तर करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ञ))

- 8- राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 3167295 हजार (तीन सौ सोलह करोड़ बहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))

- 9- मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 197759 हजार (उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))

9. शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय (30 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- (क) 01. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
02. श्री अजय भट्ट,
03. श्री प्रकाश पन्त,
04. श्री हरबंस कपूर,
05. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
06. श्री हरभजन सिंह चीमा,
07. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
08. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
09. श्री मदन कौशिक,
10. श्री अरविन्द पाण्डे,
11. श्रीमती आशा नौटियाल,
12. श्रीमती विजय बड़वाल,
13. श्री अनिल नौटियाल,
14. श्री कैलाश शर्मा,
15. श्री मालचन्द।

“उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

- (ख) 01. श्री काशी सिंह ऐरी,
02. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
03. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
04. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।

-----तदैव-----

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

10. शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 पारित किया जाय।
11. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
12. उत्तरांचल राज्य के कुमांऊ एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिवों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।
13. जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी गांव में सिंचाई हेतु रामगंगा नदी से लिफ्ट योजना की मांग के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून :
दिनांक : 17 अप्रैल, 2006

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2006
का तृतीय सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 27 चैत्र, शक संवत्, 1928
(दिनांक : 17 अप्रैल, 2006)

नत्थी “क”

अल्पसूचित प्रश्न

श्री विशन सिंह चुफाल
08-03-2006
श्री अजय भट्ट
16-03-2006
श्री प्रकाश पन्त
25-03-2006

****** क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अधिकांश असिंचित क्षेत्रों में रवि की फसल नष्ट हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित परिवारों को राहत देने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

नत्थी “ख”

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के
नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तांराकित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त
22-03-2006

*1 क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासकीय सचिवालय के निकट अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गयी है? यदि हाँ, तो इस भूमि पर विधान भवन के निर्माण की योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय मंगलवार के
तांराकित प्रश्न सं० 1
नियम 29 (4) हेतु स्था

नत्थी “ग”

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 26-12-2005 डा० नारायण सिंह जन्तवाल 06-01-2006	*1. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निजी बी०एड० कॉलेजों में प्रवेश हेतु क्या नीति बनायी गयी है? अभी तक कितने निजी बी०एड० कालेजों को मान्यता दी गयी है?	उच्च शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07-01-2006	*2. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में बस स्टैण्ड के समीप उद्योग विभाग के भवनों, बिक्री केन्द्र, कार्डिंग प्लान्ट, हस्तशिल्प इम्पोरियम, शाल केन्द्र, नमदा केन्द्र, काष्ठ कला केन्द्र तथा अन्य प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों को जिला पंचायत व नगर पालिका परिषद् की क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के निर्माण हेतु तुड़वाया जा रहा है? क्या सरकार उद्योग विहीन जनपद उत्तरकाशी के हस्तशिल्पियों, बुनकरों, लघु उद्यमियों तथा बेरोजगारों के व्यापक हित में उद्योग विभाग के उक्त भवनों तथा केन्द्रों को हटाये जाने की कार्यवाही तत्काल रोकेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री हरबंस कपूर 18-01-2006	*3. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाल विवाह कानून का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक जनपद में बाल विवाह हो रहे हैं? यदि हाँ, तो बाल विवाह रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	बाल विकास
श्री अजय भट्ट 28-01-2006	*4. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित औद्योगिक क्षेत्र “सिडकुल” में कराये गये नव निर्माण कार्य पहली ही वर्षात में क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार द्वारा उत्तरदायी निर्माण एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही या कोई जांच कराई गयी है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 28-02-2006	*5. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य को केन्द्रीय करों का अंश प्राप्त हो रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार इसको बढ़ाये जाने के लिये क्या प्रयास कर रही है?	वित्त

अतारांकित प्रश्न

श्री हरबंस कपूर
08-02-2006

1. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु सड़कों के सुधार की कोई योजना प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
13-02-2006

2. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी स्थित घंटाघर पर वर्ष 2004-05 व 2005-06 में मरम्मत का कार्य किया गया? यदि हाँ, तो उसका व्यय विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्रीमती आशा नौटियाल
21-03-2006

3. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बद्रीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु राजकीय कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

तीर्थाटन एवं धर्मस्व

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
14-02-2006

4. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मोथरोवाला-दूधली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त मार्ग पर ग्राम दोड़वाला से दूधली के मध्य अनेक बरसाती नाले हैं, जिनसे बरसात में बाढ़ की स्थिति बन जाती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नालों पर पुलिंग, स्कीवर, रपटे आदि बनाये जाने हेतु धन आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या सरकार चालू वित्त वर्ष में उक्त कार्यों के लिये धन आवंटित करेगी?

ग्राम्य विकास

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग

लेखा शीर्षक-(2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2204-खेल-कूद तथा युवा सेवार्ये, 2205-कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़थवाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ड)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 16-श्रम और रोजगार विभाग

लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार, 4216-आवास पर पूंजीगत व्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 24-परिवहन विभाग

लेखा शीर्षक-(2041-वाहन कर, 3053-नागर विमानन, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परित्यय, 4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परित्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 08-आबकारी विभाग

लेखा शीर्षक-(2039-राज्य उत्पादन शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 26-पर्यटन विभाग

लेखा शीर्षक-(3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़थवाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ऑ)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग

लेखा शीर्षक-(2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ट)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

लेखा शीर्षक-(2029-भू-राजस्व, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2075-विविध सामान्य सेवायें, 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ठ)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 25-खाद्य विभाग

लेखा शीर्षक-(2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परित्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री हरबंस कपूर,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्री कैलाश शर्मा,
8. श्री मदन कौशिक,
9. श्री सुरेश चन्द्र जैन,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
11. श्री अनिल नौटियाल,
12. श्री गोविन्द लाल,
13. श्रीमती विजय बड़वाल,
14. श्रीमती आशा नौटियाल,
15. श्री मालचन्द,
16. श्री हरभजन सिंह चीमा,
17. काजी निजामुद्दीन,
18. श्री हरिदास,
19. श्री तसलीम अहमद,
20. श्री पुष्पेश त्रिपाठी,
21. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
22. श्री काशी सिंह ऐरी,
23. चौ० यशवीर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।